FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0253 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/09/2026 20:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 03/09/2026
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:39 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/09/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/09/2026 20:12:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** GRAM KOHANI, TEHASIL CHHIPABAROD JILA BARAN

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GRIRAJ NAGAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOHAN LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KOHANI, CHHIPABAROD, KAWAI, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KOHANI, CHHIPABAROD, KAWAI, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMNIWAS		पिता:RANGLAL	1. PARTAP NAGAR SECOND,CHHABRA,CHHABRA ,BARAN,RAJASTHAN,INDIA
2	HANSRAJ RATHI		पिता:RAMPRASAD	1. KOHANI,BARAN,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के हेल्प लाईन नंबर 1064 से परिवादी गिर्राज से सम्पर्क कर ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाने पर मन कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां ने परिवादी श्री गिर्राज पुत्र मोहन लाल जाति नागर उम्र 39 साल निवासी ग्राम कोहनी थाना कवाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां के मोबाईल नंबर पर अपने मोबाईल नंबर से कॉल कर परिवादी को कार्यालय में तलब किया गया। इस पर दिनांक 18.08.2026 को समय 12.30 पीएम पर तलविदा परिवादी गिर्राज कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां को एक लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रति के साथ पेश किया। परिवादी श्री गिर्राज के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाप्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर करना बताया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "मैं ग्राम कोहनी थाना कवाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां का रहने वाला हूं। मैं गांव में खेती बाडी का काम करता हूं। पुलिस थाना कवाई में श्री रामनिवास हैड साहब लगे हुए है जो हमारे गांव के बीट कानिस्टेबल/प्रभारी है। पिछले साल दिसम्बर महिने में रामनिवास जी हैड साहब व कवाई थाने की पुलिस मुझे पकडकर लाई थी तथा मुझे थाने में बन्द कर दिया था जहां से मुझे जेल भेज दिया था इसके बाद मैंने जमानत करवाई थी। अभी दिनांक 08.08.2026 शनिवार को कवाई थाने की पुलिस मुझे एवं हमारे गांव के प्रेमनारायण को पकडकर लाये थे तथा अवैध शराब के झूठे मामले में थाने में बन्द कर जेल भेजा था। मेरे भाई द्वारा मेरी जमानत कराने पर बाहर आया हूं। मेरे उपर लगाये झूठे केस की कार्यवाही श्री रामनिवास जी हैड साहब द्वारा की जा रही है तथा रामनिवास हैड साहब मुझसे अब मेरे खिलाफ झूठा मामला नहीं बनाकर किसी भी केस में नहीं फंसाने की एवज में 70 हजार रूपये की मांग कर रहे है। मैं उनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। उनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी श्री गिर्राज ने स्वयं को पढा लिखा नहीं होने से प्रार्थना पत्र कम्प्यूटर से टाईप करवाना बताया, साथ ही बताया कि मेरी श्री रामनिवास हैड कानिस्टेबल से कोई आपसी रंजिश नहीं है और ना ही उनसे कोई रूपयो का लेन देन शेष है । मजीद nfjk¶r से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया गया है। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन की कहने पर परिवादी ने अवगत कराया कि आरोपी आज ही मुझसे रिश्वत के संबंध में वार्ता कर सकता है। समय-01.00 पीएम परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत मांग का सत्यापन करवाना आवश्यक होने पर श्री दिनेश कुमार कानि 360 को बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने के कब्जे की सरकारी आलमारी से सोनी कंपनी का बरंग काला डीवीआर निकालकर उसमें नया मेमोरी कार्ड केडीएम 8 GB लगाया। परिवादी को डीवीआर ऑपरेट करने की विधि समझाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डीवीआर में रिकॉर्ड करने की समझाईश की। श्री दिनेश कुमार कानि 360 को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन से पूर्व डीवीआर चालू कर परिवादी को देने, निगरानी करने तथा वार्ता के बाद डीवीआर को बन्द कर परिवादी के साथ वापस आकर डीवीआर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करने की हिदायत देकर परिवादी को उसकी मोटर साइकिल से मय श्री दिनेश कुमार कानि के रवाना किया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डीवीआर तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय-10.00 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि 360 उपस्थित कार्यालय आया। जिसने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन कालू राम वर्मा अपुअ को सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री गिर्राज के साथ रवाना होकर थाना कवाई से कुछ दूरी पहले जाकर रूके जहां से परिवादी गिर्राज ने अपने मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल नंबर पर कॉल किया तो आरोपी ने बताया कि गांव में आकर तुझसे मिलूंगा। इसके बाद परिवादी के साथ उसके गांव कोहनी में जाकर आरोपी के आने की प्रतिक्षा में मुकीम रहा। रात्री हो जाने तक फोन नहीं आने से आपके निर्देशानुसार परिवादी को वहीं पर छोडकर रवाना होकर वापस कार्यालय आया हूं। परिवादी ने कहा है कि कल रिश्वत मांग के संबंध में उनसे दोबारा वार्ता हो सकती है। आप कवाई आ जाना। मैं आपको कवाई में मिल जाउंगा। परिवादी को मामले को गोपनीय रखने एवं सत्यापन हेतु तलब करने पर अविलम्ब उपस्थित होने की हिदायत दी थी। श्री दिनेश कानि से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर सुरक्षित रखा। फर्द प्राप्ति डीवीआर तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक-19.08.2026 को समय-08.00 एएम पर श्री दिनेश कुमार कानि 360 मय

डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी से संपर्क कर उसे डीवीआर सुपुर्द कर एवं डीवीआर चालू व बन्द करने की विधि बताकर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन करने की आवश्यक हिदायत कर कवाई रवाना किया गया। समय-10.00 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि 360 उपस्थित कार्यालय आया। जिसने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन कालू राम वर्मा अपुअ को सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कस्बा कवाई में रेल्वे स्टेशन पर जाकर रूका जहां परिवादी गिर्राज उपस्थित आया। परिवादी गिर्राज ने अपने मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल नंबर पर कॉल किया तो आरोपी ने बताया कि गांव में आकर तुझसे मिलूंगा। इसके बाद परिवादी के साथ उसके गांव कोहनी में जाकर आरोपी के आने की प्रतिक्षा में मुकीम रहा। रात्री हो जाने तक फोन नहीं आने से आपके निर्देशानुसार परिवादी को वहीं पर छोडकर रवाना होकर वापस कार्यालय आया हूं। परिवादी ने कहा है कि कल रिश्वत मांग के संबंध में उनसे दोबारा वार्ता हो सकती है। आप कवाई आ जाना। मैं आपको कवाई में मिल जाउंगा। परिवादी को मामले को गोपनीय रखने एवं सत्यापन हेतु तलब करने पर अविलम्ब उपस्थित होने की हिदायत दी थी। श्री दिनेश कानि से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर सुरक्षित रखा। दिनांक 20.08.2026 समय-08.00 एएम पर श्री दिनेश कुमार कानि 360 मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी से संपर्क कर उसे डीवीआर सुपुर्द कर एवं डीवीआर चालू व बन्द करने की विधि बताकर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन करने की आवश्यक हिदायत कर कवाई रवाना किया गया। समय 10.00 पीएम श्री दिनेश कुमार कानि 360 उपस्थित कार्यालय आया। जिसने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन कालू राम वर्मा अपुअ को सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कस्बा कवाई में रेल्वे स्टेशन पर पहुंचा जहां पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी को डीवीआर चालू व बन्द करने का तरीका बताकर आरोपी से रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता करने हेतु परिवादी को मय डीवीआर के थाना कवाई रवाना किया। कुछ देर बाद वह वापस आया और बताया कि मैं रवाना होकर थाना कवाई पहुंचा जहां पर थाना स्टाफ उपस्थित मिला जिनसे मैंने श्री रामनिवास हैड साहब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि रामनिवास जी तो कहीं बाहर गये हुये है, शाम तक या सुबह तक आयेंगे। डीवीआर परिवादी से लेकर आपके निर्देशानुसार परिवादी को वहीं पर छोडकर रवाना होकर वापस कार्यालय आया हूं। परिवादी ने कहा है कि कल सुबह राम निवास जी हैड साहब के बाहर से आने पर रिश्वत मांग के संबंध में थाने पर वार्ता हो सकती है। आप कवाई आ जाना। मैं आपको कवाई में मिल जाउंगा। परिवादी को मामले को गोपनीय रखने एवं सत्यापन हेतु तलब करने पर अविलम्ब उपस्थित होने की हिदायत दी थी। श्री दिनेश कानि से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर सुरक्षित रखा। दिनांक-21.08.2026 समय-08.00 एएम पर श्री दिनेश कुमार कानि 360 मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी से संपर्क कर उसे डीवीआर सुपुर्द कर एवं डीवीआर चालू व बन्द करने की विधि बताकर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन करने की आवश्यक हिदायत कर कवाई रवाना किया गया जो समय 10.00 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आया जिसने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन कालू राम वर्मा अपुअ को सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कस्बा कवाई में रेल्वे स्टेशन पहुंचा जहां पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी को डीवीआर चालू व बन्द करने का तरीका बताकर आरोपी से रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता करने हेतु परिवादी को मय डीवीआर के थाना कवाई रवाना किया। कुछ देर बाद वह वापस आया और बताया कि मैं रवाना होकर थाना कवाई पहुंचा जहां पर श्री रामनिवास हैड साहब उपस्थित मिले । जिनसे मेरा केस नहीं बनाने के संबंध में वार्ता हुई। रामनिवास जी ने मुझसे कार्यवाही करवाने एवं रिश्वत के संबंध में हमारे गांव के कन्हैया से बात करने की कहा तथा कन्हैया के फोन से बात करवाने के लिए कहा। इसके बाद मैं थाने से रवाना होकर वापस आपके पास आया हूं। डीवीआर परिवादी से लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद परिवादी के साथ उसकी मोटर साईकिल पर उसके गांव कोहनी के नजदीक पहुंचा। कोहनी से कुछ दूरी पूर्व परिवादी को डीवीआर चालू कर कन्हैया से बात करने हेतु ग्राम कोहनी कन्हैया के निवास पर समय 2.55PM पर रवाना किया। उसके बाद करीब एक घण्टे बाद परिवादी ने वापस आकर डीवीआर मुझे सुपुर्द किया जिसको मैंने बन्द कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मैं डीवीआर चालू कर रवान होकर मेरे गांव कोहनी के कन्हैया के निवास पर पहुंचा तो कन्हैया घर पर मौजूद मिला। जिससे मैंने वार्ता कर कन्हैया के मोबाईल से रामनिवास जी के मोबाईल नंबर पर कॉल करवाया तो रामनिवास जी ने कुछ देर बाद बात करने की कहा। फिर कुछ देर बाद वापस फोन लगवाया तो फिर रामनिवास जी ने वाटसअप कॉल करने के लिए कहा। वाटसअप कॉल करने पर उन्होंने बताया कि मैं अभी तो अर्जेन्ट काम से बांसवाडा जा रहा हूं। मैं जब गांव कोहनी आउंगा तब बैठकर बात करूंगा, तब तक किसी के बहकावे में आना मत। उसके बाद मैं रवाना होकर वापस आपके पास आया हूं। जो वार्ता हुई उसे मैंने डीवीआर में रिकॉर्ड हो गई है। डीवीआर परिवादी ने मुझे सुपुर्द किया जिसको बन्द कर मैंने अपने पास सुरक्षित रख लिया । परिवादी ने बताया कि रामनिवास जी के गांव में आने पर ही उससे रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हो सकती है। रामनिवास जी आने पर मैं आपको फोन कर सूचित कर दूंगा। इसके बाद मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी को वहीं पर छोडकर रवाना होकर वापस कार्यालय आया हूं। श्री दिनेश कानि से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर सुरक्षित रखा। दिनांक-25.08.2026 समय-02.15 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि 360 मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी से संपर्क कर उसे डीवीआर सुपुर्द कर एवं डीवीआर चालू व बन्द करने की विधि बताकर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन करने की आवश्यक हिदायत कर कवाई रवाना किया गया जो समय 11.00 पीएम पर वापस उपस्थित

कार्यालय आया। जिसने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन कालू राम वर्मा अपुअ को सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कस्बा कवाई में रेल्वे स्टेशन पहुंचा जहां पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि रामनिवास जी मेरे गांव की तरफ गया हुआ है। उसने मुझे दिन में मिलने के लिए फोन किया था जिनसे मैंने शाम को मिलने के लिए बोला था, तो अभी रामनिवास जी मेरे गांव की तरफ ही होंगे। इस परिवादी को साथ लेकर उसकी मोटर साईकिल से गांव कोहनी के नजदीक जाकर रूके। जहां पर हमने रामनिवास के कॉल की प्रतिक्षा में मुकीम रहे। शाम का वक्त होने तक भी रामनिवास का फोन नहीं आने पर परिवादी ने अपने मोबाईल नंबर से रामनिवास के मोबाईल नंबर पर कॉल किया तो रामनिवास ने बताया कि मैं अभी तो कवाई डयूटी में हूं। तू कवाई आ जा। इस पर मैं परिवादी को साथ लेकर कवाई थाने से कुछ दूर पहुंचा जहां पर मैंने परिवादी को डीवीआर चालू करवाकर आरोपी रामनिवास के पास समय 07.33 PM पर पुलिस थाना कवाई रवाना किया। मैं थाने के आस पास छुपाव हासिल कर निगरानी करने लगा। इसके बाद करीब 10 मिनट बाद परिवादी वापस आया जिसने डीवीआर मुझे सुपुर्द किया जिसको बन्द कर मैने अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मैं रवाना होकर रामनिवास जी पास पुलिस थाना कवाई पहुंचा जहां पर मुझे पुलिस थाने के बाहर ही रोड पर मिले जिनसे मेरी रिश्वत मांग के संबंध में स्पष्ट वार्ता हो गई है। रामनिवास जी ने मुझसे केस नहीं बनाने के बदले बीस हजार रूपये मांगे परन्तु मेरे निवेदन करने पर पन्द्रह हजार रूपये लेने के लिए सहमत हो गये। उसके बाद मैं रवाना होकर वापस आपके पास आया हूं जो वार्ता हुई उसे मैंने डीवीआर में रिकॉर्ड हो गई है। डीवीआर परिवादी ने मुझे सुपुर्द किया जिसको बन्द कर मैंने अपने पास सुरक्षित रख लिया । इसके बाद मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी को वहीं पर छोडकर रवाना होकर वापस कार्यालय आया हूं। श्री दिनेश कानि से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर डीवीआर को चालू कर आज रिश्वत मांग के संबंध में हुई वार्ता को सुना तो रिश्वत मांग के संबंध में 15000 रूपये की स्पष्ट रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता होना पाया गया है। डीवीआर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी से जरिये मोबाईल वार्ता की गई तो टे्रप हेतु रिश्वत राशि 15000 रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित आने के लिए कहा तो परिवादी ने अवगत कराया कि अभी मेरे पास रिश्वत राशि 15000 रूपये नहीं है। रक्षाबन्धन का त्यौहार भी आ रहा है। त्यौहार के बाद सोमवार दिनांक 31.08.26 को मैं रिश्वत राशि का बन्दोबस्त कर करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी के बताये अनुसार अग्रिम कार्यवाही दिनांक 31.08.26 को किया जाना प्रस्तावित है। परिवादी के मय रिश्वत राशि के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक-29.08.2026 समय 07.35 पीएम परिवादी श्री गिर्राज ने जरिये फोन मन कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मैं रूपयों की व्यवस्था करके सोमवार को दिनांक 31.08.26 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 31.08.2026 समय 10.20 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां के नाम पत्रांक 973 दिनांक 31.08.2026 जारी कर श्री जावेद अख्तर कानि 25 को सुपुर्द कर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया। समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री गिर्राज पुत्र मोहन लाल जाति नागर उम्र 39 साल निवासी ग्राम कोहनी थाना कवाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां उपस्थित कार्यालय आया। जिसने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था करके 15000 रूपये साथ लेकर आया हूं। आज ही पूर्व में हुई रिश्वत मांग वार्ता के अनुसार रिश्वत का लेन देन होगा। समय 10.45 एएम पर श्री जावेद अख्तर कानि 25 मय दो स्वतंत्र गवाह श्री राहुल मीणा पुत्र श्री मोडूलाल उम्र 31 साल निवासी 42ए न्यू मास्टर कॉलोनी झालावाड् हाल सहायक अभियन्ता उपखण्ड बारां द्वितीय कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां मोबाईल नंबर व श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 39 निवासी जग जीवन राम कॉलोनी बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां मोबाईल नंबर उपस्थित आये तथा कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां का पत्रांक 875 दिनांक 31.08.2026 पेश किया। कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी गिर्राज द्वारा दिनांक 18.08.26 को पेश प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर हस्ताक्षर किये। दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनों ने कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति दी। समय 10.55 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी से कार्यवाही में रिश्वत मांग प्रयास की वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाने के संबंध में अवगत करवाया। तत्पश्चात परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी श्री रामनिवास के मध्य दिनांक 20.08.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता प्रथम फाईल नंबर 260820-1109 (16 मिनट 56 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज रामनिवास की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता प्रथम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.25 एएम पर परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी श्री रामनिवास के मध्य दिनांक 21.08.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता द्वितीय फाईल नंबर 260821-1111 (47 मिनट 24 सैकण्ड) जो

डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज रामनिवास की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता द्वितीय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.55 पीएम पर परिवादी द्वारा अवगत कराया है कि आज ही रिश्वत राशि लेन देन होगा। रामनिवास जी हैड साहब दो ढाई बजे के आस पास थाने पर ही मिलेंगे उसके बाद वो नहीं मिलते। परिवादी के बताये अनुसार ट्रेप का आयोजन अविलम्ब किया जाना है, इसलिए समयाभाव होने के कारण दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के समक्ष कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिनेश कानि 360 से डीवीआर में रिकॉर्ड शेष वार्ताओं को बारी बारी से मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ताओं में आवाज की पहचान की। स्वतंत्र गवाहों ने वार्ताओं को सुनकर रिश्वत मांग होने के संबंध में सहमती जाहिर की। समय 01.25 पीएम दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गिर्राज पुत्र मोहन लाल जाति नागर उम्र 39 साल निवासी ग्राम कोहनी थाना कवाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां ने अपने पास से निकालकर बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15 हजार रूपये मन कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नंबर पृथक-पृथक निम्न प्रकार है- क्र.सं. नोटों का विवरण नोटों का नम्बर 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1DV 335380 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5DL 691794 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8DG 824993 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5DH 408866 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5RE 985087 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3QD 883448 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6FL 626285 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7PU 621019 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5RV 633310 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8SE 854852 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1ME 260352 12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7AT 867996 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3DG 152361 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4KP 668017 15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4UN 285813 16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0DB 721593 17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1TK 437121 18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3BT 803884 19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0CF 595393 20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0FF 608408 21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4MA 400725 22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7PT 035117 23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0BG 317241 24. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4VV 618800 25. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7SC 227300 26. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3GE 624789 27. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4PS 365754 28. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0UC 116565 29. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7SU 066587 30. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8PQ 854540 उक्त नंबरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो परिवादी द्वारा पेश रिश्वत राशि के नोट एवं फर्द में अंकित नोटो के नम्बरो का मिलाना हू बहू होना बताया। तत्पश्चात श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल से मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर परिवादी गिर्राज द्वारा दिये गये 15 हजार रुपये के नोटो को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री गिर्राज की तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल मीणा से लिवाई गई। परिवादी श्री गिर्राज के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 15 हजार रूपये को परिवादी के पजामें की सामने की दाहिनी जेब में श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 से रखवाये गये। इसके बाद एक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोले में श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टान्त को गवाहान एवं परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटो को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को फिकवाकर जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार एवं प्रयोग में लिए गये डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 से मालखाने में रखवाई गई। श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 के हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशीयों, ढक्कन को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहों ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुये एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पडे तो दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करे। साथ ही यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि लेकर कहां रखता है या छुपाता है। परिवादी श्री गिर्राज को समझाया कि रिश्वत देने के बाद श्री दिनेश कानि के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर अवगत कराये या सिर पर साफी बांधकर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें

। डिजिटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री गिर्राज को दिया जाकर चालू व बन्द करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेन देन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। दोनों स्वतंत्र गवाहों व ट्रेप पार्टी को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। एसीबी स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई। ट्रेप टीम के पूरे स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये एवं कोई आपत्तिजनक वस्तु या राशि नहीं रहने दी गई। कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 01.45 पीएम पर परिवादी श्री गिर्राज को स्वयं की मोटर साईकिल से एवं श्री दिनेश कुमार कानि एवं श्री जावेद अख्तर कानि को निजी मोटर साईकिल से कवाई रोड पर अड़ानी पावर प्लान्ट के गेट के पास मिलने की हिदायत कर रवाना किया साथ ही सरकारी वाहन में ट्रैप बॉक्स लेपटॉप प्रिन्टर डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड पेन ड्राईव सरकारी मोबाईल एवं आवश्यक सामान रखवाकर स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल मीना व श्री महेन्द्र सिंह मय चालक नरेन्द्र सिंह के रवाना किया। मन कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री ज्ञानचन्द सउनि श्री बबलेश कुमार कानि 261 के मय प्राइवेट वाहन से कवाई के लिए ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 02.30 पीएम अडानी पावर प्लान्ट के गेट के पास पहुंचा। कुछ समय बाद परिवादी गिर्राज व श्री दिनेश कुमार कानि व जावेद अख्तर कानि अपनी अपनों मोटर साईकिलों से उपस्थित आये। अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुये। समय 02.58 पीएम पर परिवादी श्री गिर्राज को रिश्वत लेन देन हेतु डीवीआर चालूकर कर स्वयं की मोटर साईकिल से आरोपी के पास थाना कवाई रवाना किया परिवादी की निगरानी हेतु श्री दिनेश कुमार कानि 360 व श्री जावेद अख्तर कानि 25 को निजी मोटर साइकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री ज्ञानचन्द सउनि, श्री बबलेश कुमार कानि मय प्राईवेट वाहन के मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक श्री नरेन्द्र सिंह के रवाना हुआ। पुलिस थाने से कुछ दूरी पहले दोनों वाहनों को खडाकर छुपाव हासिल करते हुए परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद परिवादी बिना ईशारे किये आया। थाने से रवाना होकर कवाई कस्बे की तरफ रवाना हुआ। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के उसके पीछे रवाना हुये। परिवादी के पास पहुंचा। श्री दिनेश कानिस्टेबल ने परिवादी से डीवीआर लेकर बन्द कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि जैसे ही मैं थाने के गेट पर पहुंचा वहीं पर मुझे रामनिवास जी मिल गये। मैंने उनको रिश्वत राशि 15000 रुपये लेकर आया हू कहा तो उन्होंने गांव में ही आने के लिए कहा और रिश्वत राशि नहीं ली। डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी को साथ लेकर मय हमराहियान मय वाहनों के गोपनीय स्थान पर रवाना हुआ । 04.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय हमराहियान मय वाहनों के पीपल्या जागीर गांव के पास गोपनीय स्थान पहुंचा तथा आरोपी के फोन एवं उसके आने की सूचना के इन्तजार में मुकीम रहा। समय 05.38 पीएम पर परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मुझे घरेलू काम से बाहर जाना है। रामनिवास जी हेड साहब आज तीज का कार्यक्रम होने से मुझे लगता है कि वो पैसे लेने नहीं आयेंगे। क्योंकि शाम का समय हो गया है रात में वो मेरे घर पर नहीं आते है। इस पर आरोपी की लोकेशन जानने एवं परिवादी के पास आने के संबंध में परिवादी के मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल नंबर पर फोन लगवाया गया तो आरोपी ने फोन नहीं उठाया। समय 05.43 पीएम पर आरोपी की लोकेशन जानने एवं परिवादी के पास आने के संबंध में परिवादी के मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल नंबर पर स्पीकर ऑन कर पुनः फोन लगवाया गया तो आरोपी ने फोन उठाया। परिवादी ने कहा कि मुझे दो चार दिन मेहमानों में ले जा रहा है मेरा साला, तो आरोपी ने कहा कि मत जा तू वहां। परिवादी ने कहा कि कितना लेट आओगे पर आरोपी ने कोई जबाव नहीं दिया और फोन काट दिया। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव किया गया। डीवीआर को चलाकर सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। जिसकी ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी। आरोपी के आने की प्रतिक्षा में गोपनीय स्थान पर मुकीम हुये। समय 06.50 पीएम पीएम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री गिर्राज ने अवगत कराया कि अब रात का समय हो चुका है मुझे लगता है कि अब रामनिवास जी नहीं आयेगे मुझे भी जरूरी पारिवारिक काम से बाहर जाना है। परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं हालात से आज कार्यवाही होने की संभावना नहीं है। इस पर गवाह श्री राहुल मीना से परिवादी की पजामे की दाहिनी जेब में रखी रिश्वत राशि निकलवाकर उसे एक लिफाफे में रखवाकर गवाह के पास सुरक्षित रखवाया। परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने एवं आरोपी से जरिये फोन या अन्य माध्यम से संपर्क होने पर तुरन्त अवगत कराने की हिदायत दी गई। परिवादी से रिश्वत मांग एवं लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं कल शाम 04.30 बजे तक आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा तथा जैसी भी स्थिति बनेगी आपको अवगत करा दूंगा। इसके बाद परिवादी को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान साथ लाये वाहनों के बारां के लिए रवाना होकर समय 08.20 पीएम पर रिश्वत राशि का लिफाफा ट्रेप बॉक्स, डीवीआर व लेपटॉप प्रिन्टर आदि सामानों के साथ एसीबी चौकी बारां पहुंचा। रिश्वत राशि का लिफाफा श्री राहुल मीणा से प्राप्त कर मालखाने में सुरक्षित रखवाया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीय बनाये रखने की सख्त हिदायत दी गई तथा जरिये मोबाईल अवगत कराने पर तुरन्त उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान को रुकसत किया।

कार्यवाही में रिकॉर्ड वार्ता की ट्रांसक्रप्टे तैयार किया जाना आवश्यक है। परिवादी के उपस्थित आने पर जैसे हालात होंगे उस अनुसार कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 01.09.2026 समय 04.00 पीएम पर कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल मीना व श्री महेन्द्र सिंह को अग्रिम कार्यवाही हेतु समय 04.30 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। समय 04.30 पीएम पर कार्यवाही के दोनों पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल मीना व श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित कार्यालय आये । इसी दौरान परिवादी श्री गिर्राज भी कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी से कार्यवाही में रिश्वत मांग एवं लेन देन प्रयास की वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाने के संबंध में अवगत करवाया। परिवादी श्री गिर्राज एवं कन्हैया के मध्य दिनांक 21.08.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता तृतीय फाईल नंबर 260821-1455 (55 मिनट 45 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज कन्हैया की होना बताया। वार्ता की हुबहु लैपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता तृतीय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.05 पीएम पर परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी रामनिवास के मध्य दिनांक 25.08.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नंबर 260825-1933 (10 मिनट 21 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज रामनिवास की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधिर्ती के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.35 पीएम पर परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी रामनिवास के मध्य दिनांक 31.08.2026 को हुई रिश्वत मांग लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम फाईल नंबर 260831-1458 (09 मिनट 54 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनौ स्वतंत्र गवाहीन व परिवादी के समक्ष सरकारी लैपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज रामनिवास की होना बताया। वार्ता की हुबहु लैपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.05 पीएम पर परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी रामनिवास के मध्य दिनांक 31.08.2026 को हुई रिश्वत मांग लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता प्रथम फाईल नंबर 260831-1743 (01 मिनट 16 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8 जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज रामनिवास की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता प्रथम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.30 पीएम पर परिवादी से आरोपी द्वारा संपर्क करने के बारे में पूछा तो बताया कि मेरा उससे अभी संपर्क नहीं हुआ है जब भी संपर्क होगा मैं आपको बता दूंगा। परिवादी को किसी भी तरह की गतिविधि से पूर्व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने एवं आरोपी के अचानक आ जाने पर उसे रिश्वत राशि नहीं देकर अविलम्ब अवगत कराने एवं मामले को गोपनीय रखने की हिदायत देकर रुकसत किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही को गोपनीय रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर अविलम्ब उपस्थित होने की हिदायत कर रुकसत किया गया। दिनांक 02.09.2026 समय 05.44 पीएम परिवादी श्री गिर्राज के मोबाईल नंबर से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया और बताया कि कल दिनांक 03.09.26 को रिश्वत का लेन देन होने की संभावना है। इस पर परिवादी दिनांक 03.09.26 को सुबह 10.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी गई। दिनांक 03.09.2026 समय 10.30 एएम परिवादी गिर्राज कार्यालय में उपस्थित आया तथा अवगत कराया कि आज रामनिवास जी हैड साहब कवाई में ही है इसलिए रिश्वत लेन देन आज होने की संभावना है। परिवादी के बताये अनुसार आज ही ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना है। अत कार्यवाही के पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। समय 10.40 एएम पर कार्यवाही के दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल मीणा व महेन्द्र सिंह उपस्थित आये। जिन्हें आज होने वाली कार्यवाही के बारे में बताया गया। समय 11.00 एएम आरोपी की लोकेशन जानने एवं लेन देन होने की स्थिति की जानकारी करने के लिए श्री गिर्राज के मोबाईल नंबर से आरोपी रामनिवास के मोबाईल नंबर पर कॉल करवाया गया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। समय 11.10 एएम पर मालखाने में रखी रिश्वत राशि के लिफाफे को श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 से निकलवाया। इसके बाद परिवादी गिर्राज की तलाशी स्वतंत्र गवाह राहुल मीणा से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अतिरिक्त कोई वस्तु या राशि नहीं रहने दी गई। उक्त लिफाफे में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई रिश्वत राशि 15000 रूपये को परिवादी

की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सीधा ही श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 से रखवाये गये। काम में लिये गये लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल एवं परिवादी गिर्राज के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी स्टाफ ने भी अपने अपने हाथ साबुन एवं साफ पानी से धोये। परिवादी गिर्राज को रिश्वत लेन देन होने के बाद अपने फोन से श्री दिनेश कानिस्टेबल के मोबाईल पर मिसकॉल करने की हिदायत दी तथा उक्त रिश्वत राशि को हाथ नही लगाने तथा आरोपी द्वारा मांगने उसे देने की समझाईश की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की गई। समय 11.25 एएम पर सरकारी वाहन में ट्रैप बॉक्स लेपटॉप प्रिन्टर डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड पेन ड्राईव सरकारी मोबाईल एवं आवश्यक सामान रखवाकर स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्र सिंह, श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल, श्री दिनेश कानि मय परिवादी श्री गिर्राज मय चालक नरेन्द्र सिंह के रवाना किया। मन कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री राहुल मीना व श्री ज्ञानचन्द सउनि श्री बबलेश कुमार कानि 261 के मय प्राइवेट वाहन से कवाई के लिए ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 12.20 पीएम पर छबडा रोड पर खोपर गांव के पास पहुंचा। दोनों वाहनों को साईड में खडा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुये। परिवादी ने अपने गांव से उसकी मोटर साईकिल मंगवाई। समय 12.32 पीएम पर आरोपी की लोकेशन जानने एवं लेन देन होने की स्थिति की जानकारी करने के लिए श्री गिर्राज के मोबाईल नंबर से आरोपी रामनिवास के मोबाईल नंबर पर कॉल करवाया गया तो आरोपी रामनिवास ने कहा कि मैं अभी छबडा हूं। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान कार्यवाही में सहयोग हेतु परिवादी का भाई उसकी मोटर साईकिल को लेकर आया। समय 01.30 पीएम पर परिवादी गिर्राज व श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 को परिवादी की मोटर साईकिल से ग्राम कोहनी के आगे टांचा रोड पर काला तालाब हनुमान मंदिर के पास पहुंचने की हिदायत देकर रवाना किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता के दोनों वाहनों से काला तालाब हनुमान मंदिर के लिए रवाना होकर समय 02.00 पीएम काला तालाब हनुमान मंदिर पहुंचे जहां पर कुछ समय बाद परिवादी व दिनेश कानिस्टेबल भी उपस्थित आये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के वही मुकीम हुआ। समय 03.02 पीएम पर आरोपी की लोकेशन जानने एवं लेन देन होने की स्थिति की जानकारी करने के लिए श्री गिर्राज के मोबाईल नंबर से आरोपी रामनिवास के मोबाईल नंबर पर कॉल करवाया गया तो आरोपी रामनिवास ने उसके गांव के हंसराज राठी से मिलने के लिए कहा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। समय 04.09 पीएम आरोपी रामनिवास के कहेनुसार परिवादी गिर्राज को हंसराज राठी से रिश्वत लेन देन हेतु मिलना है। इसलिए आरोपी रामनिवास की निगरानी कर आवश्यकता पडने पर डिटेन करने के निर्देश देकर श्री ज्ञानचन्द सउनि मय श्री उमाशंकर हैड कानि व श्री बबलेश कानि को प्राईवेट कार से थाना कवाई रवाना किया गया। समय 04.15 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाप्ता के सरकारी वाहन एवं मोटर साईकिल से परिवादी के निवास ग्राम कोहनी हेतु रवाना होकर समय 04.20 पीएम पर परिवादी के निवास के पास ग्राम कोहनी पहुंचा। सरकारी वाहन को साईड में छुपाव हासिल करते हुए खडा किया। समय 04.35 पीएम पर लेन देन होने की स्थिति की जानकारी करने के लिए श्री गिर्राज के मोबाईल नंबर से हंसराज के मोबाईल नंबर पर कॉल करवाया गया तो दलाल हंसराज ने परिवादी के घर आने के लिए कहा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया तथा डीवीआर को चालू कर परिवादी को उसके घर पर रवाना किया। परिवादी एवं लेन देन की निगरानी हेतु श्री दिनेश कानि 360 को रवाना किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप जाल बिछाया व रिश्वत लेन देन की सूचना का इन्तजार करने लगा। समय 04.39 पीएम पर परिवादी श्री गिर्राज ने श्री दिनेश कानिस्टेबल के मोबाईल पर मिस कॉल कर अवगत कराने पर श्री दिनेश कानिस्टेबल ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कॉल कर रिश्वत लेन देन हो जाने की सूचना दी। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के परिवादी गिर्राज के निवास पर पहुंचे जहां आंगन में परिवादी एवं दिनेश कानिस्टेबल व एक अन्य व्यक्ति उपस्थित मिले। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री दिनेश कानिस्टेबल से डीवीआर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने पास ही खडे नेकर व टीशर्ट पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही हंसराज राठी है इन्होनें मुझसे श्री रामनिवास जी हैड कानिस्टेबल थाना कवाई के कहेनुसार रिश्वत राशि 15000 रूपये लेकर अपनी पहनी हुये नेकर की पीछे की दाहिनी जेब में रखी है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां ने अपने नाम व पद का परिचय देकर उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री हंसराज राठी पुत्र श्री रामप्रसाद उम्र 39 साल निवासी ग्राम कोहनी थाना कवाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां होना बताया। जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री गिर्राज पुत्र मोहनलाल उम्र 39 साल निवासी ग्राम कोहनी थाना कवाई तहसील छीपाबडौद से ली गई रिश्वत राशि 15000 रूपये के बारे में पूछा तो श्री हंसराज राठी ने बताया कि आज मेरे पास श्री रामनिवास जी हैड साहब थाना कवाई का फोन आया था जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम तुम्हारे गांव के गिर्राज नागर से 15000 रूपये ले लेना, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। श्री रामनिवास जी हैड साहब के कहने पर मैं गिर्राज नागर के घर आया। गिर्राज ने मुझे हैड साहब के कहेनुसार 15000 रूपये दिये जो मैंने लेकर गिनकर मेरे पहने हुए

नेकर के पीछे की दाहिनी जेब में रखे है। इसके बाद परिवादी गिर्राज ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैंने श्री हंसराज राठी के मोबाईल नंबर से श्री रामनिवास हैड कानिस्टेबल थाना कवाई के मोबाईल नंबर पर स्पीकर ऑन कर कॉल करवाकर श्री रामनिवास जी को बताया कि मैंने और हंसराज राठी ने वार्ता की है और मैंने कहा कि आपके कहेनुसार 15000 रूपये श्री हंसराज राठी को दे दिये है, अब आप मुझे झूठे केस में मत फंसाना। ये वार्ता आप द्वारा दिये गये रिकॉर्डिंग मशीन में रिकार्ड हो गई है। समय 04.47 पीएम पर आरोपी रामनिवास की निगरानी कर डिटेन किये जाने के क्रम में पूर्व में भेजे गये जाप्ता श्री ज्ञानचन्द सउनि, श्री उमाषंकर हैड कानिस्टेबल, श्री बबलेश कुमार कानि मय प्राइवेट वाहन को दलाल हंसराज एवं परिवादी के मध्य हुए रिश्वत लेन देन में आरोपी रामनिवास एवं दलाल हंसराज की संलिप्तता स्पष्ट होने से आरोपी रामनिवास हैड कानिस्टेबल को डिटेन कर थाना कवाई पर लेकर उपस्थित मिलने के निर्देश दिये। समय 04.50 पीएम पर परिवादी गिर्राज के निवास पर कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान नहीं होने व परिवादी के घर के बाहर काफी भीड हो जाने से कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना होने से श्री हंसराज राठी का दाहिना हाथ स्वतंत्र गवाह श्री राहुल मीना एवं बांया हाथ स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्र सिंह से कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर यथास्थिति में सरकारी गाडी में बैठाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता के अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कवाई के लिए रवाना हुआ। समय 05.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय आरोपी श्री हंसराज राठी मय परिवादी मय सरकारी वाहन मय चालक के पुलिस थाना कवाई पहुंचा जहां थाना परिसर में श्री ज्ञानचन्द सउनि मय जाप्ता मय डिटेनशुदा श्री रामनिवास हैड कानिस्टेबल के उपस्थित मिले। जिन्हें साथ लेकर पुलिस थाने में प्रवेश कर थाना इंचार्ज श्री आमिर खान सउनि से कार्यवाही के लिए एक कमरा उपलब्ध करने हेतु कहा जिस पर उन्होंने थाने में एक कमरा उपलब्ध कराया। समय 05.30 पीएम बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही के क्रम में आरोपीगण को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपना नाम व पद से अवगत कराकर डिटेनशुदा हैड कानिस्टेबल से अपना नाम व पूर्ण पता पूछा तो उसने अपना नाम रामनिवास पुत्र रंगलाल निवासी निपानिया हाल प्रताप नगर द्वितीय थाना छबडा जिला बारां हाल हैड कानिस्टेबल 1445 पुलिस थाना कवाई जिला बारां होना बताया जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी गिर्राज से श्री हंसराज राठी निवासी कोहनी ने ली गई रिश्वत राशि 15000 रूपये के संबंध में पूछा तो बताया कि मैंने हंसराज राठी से उसके कुर्की वारन्ट के रूपये के बारे में कहा था। मैंने गिर्राज से कोई पैसे लेने के लिए हंसराज राठी से नहीं कहा। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री गिर्राज से पूछने पर बताया कि श्री रामनिवास जी झूठ बोल रहे है। इन्होंने मुझे कहा था कि कोहनी गांव का मैं बीट कानिस्टेबल/प्रभारी हूं और मेरे से मुझे दोबारा झूठे मामले में नहीं फंसाने की एवज में 70000 रूपये की मांग की थी। मेरे द्वारा राशि कम करने का निवेदन करने पर रामनिवास जी ने 20000 रूपये देने के लिए कहा। मैंने और कम करने का निवेदन किया तो रामनिवास जी 15000 रूपये लेने के लिए सहमत हुये। आज रामनिवास जी के कहेनुसार ही मेरे गांव के श्री हंसराज राठी ने मुझसे 15000 रूपये लिये है। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री हंसराज राठी से परिवादी गिर्राज से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुनः पूछा तो हंसराज राठी ने बताया कि आज दिन में मेरे पास श्री रामनिवास जी हैड साहब का फोन आया था जिन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे गांव के गिर्राज नागर से 15000 रूपये ले लेना। रामनिवास जी हैड साहब के कहेनुसार ही मैंने गिर्राज के घर जाकर उससे 15000 रूपये लिये है। इसके बाद श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 को वीडियो रिकोर्डिग हेतु थाने पर तलब किया गया गया। सरकारी सेमसंग मोबाईल में नया मेमेारी कार्ड 32 जीबी केडीएम डलवाकर वीडियोग्राफी शुरू करवाई जाकर श्री हंसराज राठी से बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। थाने में रखे पानी के केम्पर में से एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर श्री बबलेश कुमार कानि 261 से दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलासो में पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनों गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। तत्पश्चात एक घोल के गिलास में आरोपी हंसराज राठी के दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शीषीयों पर मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी हंसराज राठी के बांये हाथ के अंगूठे व अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे साफ कांच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर कर सीलचिट मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 एल.एच.-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल मीना से लिवाई गई तो आरोपी हंसराज राठी की पहनी हुई नेकर के पीछे की दाहिनी जेब पांच पांच सौ रूपये के 30 नोट निकले जिनको दोनो स्वतन्त्र गवाहान से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाया गया। बरामद नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है- क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1DV 335380 2- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5DL 691794 3- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8DG 824993 4- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5DH 408866 5- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5RE 985087 6- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3QD 883448 7- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6FL

626285 8- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7PU 621019 9- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5RV 633310 10- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8SE 854852 11- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1ME 260352 12- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7AT 867996 13- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3DG 152361 14- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4KP 668017 15- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4UN 285813 16- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0DB 721593 17- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1TK 437121 18- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3BT 803884 19- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0CF 595393 20- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0FF 608408 21- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4MA 400725 22- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7PT 035117 23- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0BG 317241 24- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4VV 618800 25- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7SC 227300 26- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3GE 624789 27- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4PS 365754 28- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0UC 116565 29- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7SU 066587 30- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8PQ 854540 बरामद रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15000/-रूपये को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके बाद आरोपी की पहनी हुई नेकर की दूसरी जेब की तलाशी में एक मोबाईल वीवो कंपनी का मॉडल वीवो वाई 29 5जी बरंग काला दो सिम वाला मिला जिसके आईएमईआई नम्बर व है तथा मोबाईल नम्बर , की सिम डली हुई है। आरोपी दलाल हंसराज राठी के मोबाईल से परिवादी एवं आरोपी रामनिवास के मोबाईल पर आपस में वार्ता हुई है इसलिये रामनिवास हैड कानिस्टेबल से अपने मोबाईल के बारे में पूछा तो उसने अपना मोबाईल वीवी टी 4 आर 5जी बरंग डार्क ब्लू दो सिम वाला जिसके आईएमईआई नंबर , तथा मोबाईल नंबर जिओ कंपनी की सिम डली हुई है, को पेश किया। दोनों आरोपीगण के मोबाईलों मे कॉल लॉग को चैक किया गया तो वार्ता होना पाया गया। दोनों मोबाईल कार्यवाही में वांछित होने से वजह सबूज कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके बाद आरोपी हंसराज राठी की पहनी हुई नेकर की पीछे की दाहिनी जेब की धुलाई आवश्यक होने से हंसराज राठी की पहनी हुई नेकर को मर्यादापूर्वक खुलवाकर, दूसरी नेकर मंगवाकर आरोपी को पहनाया गया। तत्पश्चात आरोपी हंसराज राठी की नेकर की पीछे की दाहिनी जेब की धुलाई हेतु एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी की नेकर की पीछे की दाहिनी साईड की जेब जिससे रिश्वत राशि 15000 रूपये बरामद हुई थी को उलटवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शीशियों पर मार्क एन-1, एन-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी की नेकर को पंखे की हवा में सुखाकर एक कपडे की थैली में रखकर सीलकर सीलचिट मोहर किया जाकर मार्क एन अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। बरामदगी कार्यवाही की विधी प्रावधान अनुसार विडियो रिकॉर्डिंग श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 के द्वारा सरकारी मोबाईल सेमसंग में मेमोरी कार्ड डालकर करवाई गई। परिवादी को थाने पर गिरफ्तार करने के संबंध में प्रमाणित रिकार्ड चाहने हेतु थाना इंचार्ज पुलिस थाना कवाई को अवगत कराया। समय 09.15 पीएम पर आरोपी रामनिवास को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना धारा 47(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दो नोटिस तैयार किये गये। दोनों नोटिसों पर आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात एक प्रति आरोपी को दी जाकर दूसरी प्रति पर आरोपी से प्राप्ति नोट मय दिनांक मय समय डलवाकर नीचे हस्ताक्षर करवाकर नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 09.45 पीएम पर आरोपी दलाल हंसराज राठी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना धारा 47(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दो नोटिस तैयार किये गये। दोनों नोटिसों पर आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात एक प्रति आरोपी को दी जाकर दूसरी प्रति पर आरोपी से प्राप्ति नोट मय दिनांक मय समय डलवाकर नीचे हस्ताक्षर करवाकर नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 10.15 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपीगण एवं परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, जप्तशुदा आर्टीकल्स मय रिश्वत राशि मय डीवीआर के दोनों वाहनों से आरोपी रामनिवास के आवास की खानातलाशी हेतु प्रताप नगर द्वितीय छबडा हेतु रवाना होकर समय 10.55 पीएम पर छबडा पहुंचा।स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी रामनिवास की उपस्थिति में नियमानुसार विडियोग्राफी करवाते हुए खानातलाशी नियमानुसार ली गई। फर्द खानातलाशी पृथक से तैयार की गई। दिनांक 04.09.2026 समय 12.25 एएम पर बाद खानातलाशी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपीगण एवं परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, जप्तशुदा आर्टीकल्स मय रिश्वत राशि मय डीवीआर के दोनों वाहनों से आरोपी रामनिवास के आवास छबडा से एसीबी कार्यालय बारां के लिए रवाना होकर समय 01.40 एएम एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा। जब्तशुदा आर्टिकल्स को श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया। समय 02.00 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के

समक्ष जर्ये नोटिस श्री रामनिवास पुत्र रंगलाल उम्र 30 साल निवासी निपानिया हाल प्रताप नगर द्वितीय थाना छबडा जिला बारां हाल हैड कानिस्टेबल 1445 पुलिस थाना कवाई जिला बारां को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री गिर्राज से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के दौरान 20000 रूपये की मांग कर 15000 रूपये लेने के लिए सहमत हुए। दिनांक 03.09.2026 को परिवादी श्री गिर्राज से रिश्वत लेन देन वार्ता के दौरान आपके कहेनुसार 15000/- रूपये रिश्वत राशि आरोपी हंसराज राठी ने प्राप्त कर अपनी पहनी हुई नेकर की पीछे की दाहिनी जेब में रखी जहां से बरामद हुई। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे 02 मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवष्यकता है। अतः आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। इस पर आरोपी श्री रामनिवास ने नोटिस पर “ मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देना चाहता “ अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द नमूना आवाज नोटिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 02.20 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस आरोपी दलाल श्री हंसराज राठी पुत्र श्री रामप्रसाद उम्र 39 साल निवासी ग्राम कोहनी थाना कवाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां को सूचित किया गया कि दिनांक 03.09.2026 को परिवादी श्री गिर्राज से रिश्वत लेन देन वार्ता के दौरान श्री रामनिवास हैड कानिस्टेबल के कहेनुसार 15000/- रूपये रिश्वत राशि आपने प्राप्त कर अपनी पहनी हुई नेकर की पीछे की दाहिनी जेब में रखी जहां से बरामद हुई। उक्त रिश्वत लेनदेन के दौरान हुई फोन वार्ता एवं लेन देन वार्ता को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवष्यकता है। अतः आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। इस पर आरोपी श्री हंसराज राठी ने नोटिस पर “ मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देना चाहता “ अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द नमूना आवाज नोटिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 02.45 एएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रामनिवास पुत्र श्री रंगलाल उम्र 30 साल निवासी निपानिया हाल प्रताप नगर द्वितीय छबडा हाल हैड कानिस्टेबल 1445 पुलिस थाना कवाई जिला बारां को मन कालू राम वर्माअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संवैधानिक अधिकारों एवं अपराध के संबंध में अवगत कराने के उपरान्त नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी मय चैक लिस्ट विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफतारी की सूचना नियमानुसार दी गई। फर्द गिरफ्तारी, चैक लिस्ट एवं आरोपी के पास से प्राप्त धारा 47(1) BNSS 2023 के नोटिस की प्रति को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 03.10 एएम स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी दलाल श्री हंसराज राठी पुत्र राम प्रसाद उम्र 39 साल निवासी कोहनी थाना कवाई जिला बारां को मन कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संवैधानिक अधिकारों एवं अपराध के संबंध में अवगत कराने के उपरान्त नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी मय चैक लिस्ट विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफतारी की सूचना नियमानुसार दी गई। फर्द गिरफ्तारी, चैक लिस्ट एवं आरोपी के पास से प्राप्त धारा 47(1) BNSS 2023 के नोटिस की प्रति को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 03.30 एएम पर परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी रामनिवास के मध्य दिनांक 03.09.26 को हुई रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ताद्वितीय फाईल नंबर 260903-1103 (01 मिनट 15 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज रामनिवास की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता द्वितीय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.40 एएम पर परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी रामनिवास के मध्य दिनांक 03.09.26 को हुई रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता तृतीय फाईल नंबर 260903-1232 (02 मिनट 09 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज रामनिवास की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता तृतीय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.50 एएम पर परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी रामनिवास के मध्य दिनांक 03.09.26 को हुई रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता चतुर्थ फाईल नंबर 260903-1502 (30 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज रामनिवास की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता चतुर्थ मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.00 एएम पर परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी हंसराज राठी के मध्य दिनांक 03.09.26 को हुई रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता पंचम फाईल

नंबर 260903-1635 (07 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज हंसराज की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता पंचम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.10 एएम पर परिवादी श्री गिर्राज एवं आरोपी हंसराज राठी के मध्य दिनांक 03.09.26 को हुई रिश्वत लेन देन फाईल नंबर 260903-1636 (07 मिनट 07 सैकण्ड) जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सोनी कंपनी के बरंग काला में लगे हुए मेमोरी कार्ड केडीएम 8जीबी में रिकॉर्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगा कर स्पीकर ऑन कर सुनाई गई। सुनाई गई वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज हंसराज एवं तीसरी आवाज आरोपी रामनिवास की होना बताया। वार्ता की हुबहु लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 5.15 एएम पर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 20.08.2026 को परिवादी एवं अन्य व्यक्ति के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता प्रथम (करीब 16 मिनट 56 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260820-1109), दिनांक 21.08.2026 को परिवादी एवं आरोपी रामनिवास के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता द्वितिय (करीब 47 मिनट 24 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260821-1111) व रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता तृतीय (करीब 55 मिनट 45 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260821-1455), दिनांक 25.08.2026 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (करीब 10 मिनट 21 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260825-1933), दिनांक 31.08.2026 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम (करीब 09 मिनट 54 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260831-1458) व रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता प्रथम (करीब 01 मिनट 16 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260831-1743), दिनांक 03.09.2026 को परिवादी एवं आरोपी रामनिवास के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता द्वितीय (करीब 01 मिनट 15 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260903-1103), रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता तृतीय (करीब 02 मिनट 09 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260903-1232), रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता चतुर्थ (करीब 30 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260903-1502), परिवादी एवं दलाल के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास मोबाईल वार्ता पंचम (करीब 07 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260903-1635), परिवादी एवं दलाल के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता (करीब 07 मिनट 07 सैकण्ड, फाईल नम्बर 260903-1636) जो कार्यालय के डिजीटल वाई रिकार्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड केडीएम 8 जीबी में कुल दो मेमोरी कार्ड में सेव है जिनको श्री दिनेश कानि0 360 से कार्यालय के लेपटॉप में लगवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 04 पेन ड्राईव geonix 16 GB के तैयार करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड एवं तैयारशुदा पेन ड्राईवों की जर्ये लेपटॉप हेश वेल्यू की गणना MD5 एवं SHA1 में कर प्रिन्ट निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसमें से एक पेन ड्राईव वजह सबूत नमूना आवाज कार्यवाही के लिए, दो पेन ड्राईव आरोपीगण के लिए कपडे की थैलियों में पृथक-पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। उक्त वार्ताओं के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे कुल दो मूल मेमोरी कार्ड KDM 8 GB में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्डो को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक पृथक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के अतिरिक्त 04 फाईलों में वार्ता नहीं होने से फाईल नंबर 260831-2023, 260903-1625, 260903-1625, 260903-1633 की ट्रांसक्रिप्टे तैयार नहीं की गई। फर्द बरामदगी के समय आरोपी हंसराज राठी की हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि जप्ति के दौरान सरकारी मोबाईल के मेमोरी कार्ड KDM 32 GB में वीडियो रिकॉर्डिंग श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 से करवाई गई थी जिसको श्री दिनेश कानि0 360 से सरकारी मोबाईल मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप में जोड़कर एक पेन ड्राईव geonix 16 GB तैयार करवाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग के मूल मेमोरी कार्ड केडीएम 32 जीबी की हेश वेल्यू की गणना MD5 एवं SHA1 में कर प्रिन्ट निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वीडियो रिकॉर्डिंग के मूल मेमोरी कार्ड को माननीय न्यायालय के लिए कपडे़ की थैलियों में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर कर कब्जे ब्यूरो लिया गया एवं पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। समय 07.30 एएम पर कार्यवाही पूर्ण होने के बाद स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल मीणा व श्री महेन्द्र सिंह तथा परिवादी गिर्राज को सकुशल रूकसत किया गया। इस प्रकार अब तक की संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि परिवादी श्री गिर्राज ने दिनांक 18.08.26 को एसीबी कार्यालय बारां में उपस्थित होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ""मैं ग्राम कोहनी थाना कवाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां का रहने वाला हूं। मैं गांव में खेती बाडी का काम करता हूं। पुलिस थाना कवाई में श्री रामनिवास हैड साहब लगे हुए है जो हमारे गांव के बीट कानिस्टेबल/प्रभारी है। पिछले साल दिसम्बर महिने में रामनिवास जी हैड साहब व कवाई थाने की पुलिस मुझे पकडकर लाई थी तथा मुझे थाने में बन्द कर दिया था जहां से मुझे जेल भेज दिया था इसके बाद मैंने जमानत करवाई थी। अभी दिनांक 08.08.2026 शनिवार को कवाई थाने की पुलिस मुझे एवं हमारे गांव के प्रेमनारायण को पकडकर लाये थे तथा अवैध शराब के झूठे मामले में थाने

में बन्द कर जेल भेजा था। मेरे भाई द्वारा मेरी जमानत कराने पर बाहर आया हूं। मेरे उपर लगाये झूठे केस की कार्यवाही श्री रामनिवास जी हैड साहब द्वारा की जा रही है तथा रामनिवास हैड साहब मुझसे अब मेरे खिलाफ झूठा मामला नहीं बनाकर किसी भी केस में नहीं फंसाने की एवज में 70 हजार रूपये की मांग कर रहे है। मैं उनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। उनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान दिनांक 25.08.2026 को आरोपी रामनिवास द्वारा परिवादी को आईन्दा झूठे केस में नहीं फसाने की एवज में 20000 रूपये की मांग की। परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 15000 रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत हुआ जिसकी पुष्टि फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से होती है। बाद रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 31-08-2026 एवं 03-09-2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 03-09-202 के दौरान आरोपी रामनिवास ने परिवादी से रिश्वत राशि 15000 रूपये दलाल हंसराज राठी से आपसी मिली भगत कर दलाल हंसराज को दिलवाये। जिसकी पुष्टि फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता एवं बरामदगी से होती है। आरोपी दलाल हंसराज राठी ने आरोपी रामनिवास के कहेनुसार रिश्वत राशि 15000 रूपये परिवादी गिर्राज से प्राप्त कर अपनी पहने हुए नेकर के पीछे दाहिनी जेब में रखी जो बरामदगी कार्यवाही के दौरान आरोपी की पहनी हुई नेकर की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद हुई। आरोपी के दोनों हाथों एवं नेकर का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ, आरोपी की नेकर को बतौर बजह सबूत जप्त किया गया। जिसकी पुष्टि फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई एवं विडियोग्राफी से होती है। आरोपीगण को धारा 47(1)BNSS 2023 का नोटिस नियमानुसार दिया गया। आरोपीगण को नमूना आवाज नोटिस दिया गया जिसमें आरोपीगण ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इंकार किया। आरोपीगण को नियमानुसार जुर्म से आगाह कर उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 61(2) BNS 2023 में जर्ये फर्द एवं चैक लिस्ट अनुसार गिरफ्तार किया गया। दिनांक 20,21,25,31.08.2026 को परिवादी व आरोपी रामनिवास के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ताएं एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता एवं दिनांक 03.09.2026 को परिवादी व आरोपी रामनिवास व दलाल हंसराज राठी के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता एवं लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड से पेन ड्राईव प्रतिलिपिकरण की कार्यवाही कर हेश वेल्यू निकालकर फर्द प्रतिलिपिकरण तैयार की गई। अत संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से एवं रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता, एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ता से, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई से, धारा 47(1) BNSS 2023 नोटिस से, नोटिस नमूना आवाज, फर्द गिरफ्तारी मय चैक लिस्ट एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री रामनिवास पुत्र श्री रंगलाल उम्र 30 साल निवासी निपानिया हाल प्रताप नगर द्वितीय छबडा हाल हैड कानिस्टेबल 1445 पुलिस थाना कवाई जिला बारां व आरोपी दलाल श्री हंसराज राठी पुत्र राम प्रसाद उम्र 39 साल निवासी कोहनी थाना कवाई जिला बारां के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2)BSN 2023 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (कालू राम वर्मा) अतिरिक्त् पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कालू राम वर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, बांरा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपी 1-श्री रामनिवास पुत्र श्री रंगलाल उम्र 30 साल निवासी निपानिया हाल प्रताप नगर द्वितीय छबडा हाल हैड कानिस्टेबल 1445 पुलिस थाना कवाई जिला बारां व 2- आरोपी श्री हंसराज राठी पुत्र राम प्रसाद उम्र 39 साल निवासी कोहनी थाना कवाई जिला बारां (दलाल) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 84 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1460-63 दिनांक 06.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां 2- पुलिस अधीक्षक, जिला बारां 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANITA VERMA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/09/2026 20:16:16

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				
2	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)